



2026:AHC:17476

न्यायालय संख्या - 66

अपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 2496 वर्ष 2026

आवेदकगण :-मोनू उर्फ काला तथा एक अन्य

विपक्षी :-उत्तर प्रदेश राज्य

आवेदक की ओर से अधिवक्ता : संदीप कुमार सिंह

विपक्षी की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है।
2. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री वी.के.एस. परमार को सुना गया एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. आवेदकगण, विचारण लंबित रहने के दौरान, थाना - बिनौली, जनपद - बागपत के अंतर्गत पंजीकृत अपराध संख्या 276 वर्ष 2025, धारा 191(2), 191(3), 109(1), 117(2), 103(1), 352, 351(3), 115(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) में जमानत की प्रार्थना कर रहे हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. अभियोजन कथानक के अनुसार, दिनांक 08.09.2025 को प्रातः लगभग 07:30 बजे, अक्षय पुत्र पप्पू द्वारा शिकायतकर्ता के पिता जोगेराम के ऊपर जबरन अपना ट्रैक्टर चढ़ा देने की बात कही गई है, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं और उनका पैर टूट गया तथा शरीर के अन्य अंग भी चोटिल हो गए। तत्पश्चात, सूचना मिलने पर सह-अभियुक्तगण लाठी, डंडा, तलवार, कट्टा आदि के साथ वहां पहुंचे और शिकायतकर्ता के परिवार के सदस्यों पर हमला कर दिया, जिससे कुल छह व्यक्ति घायल हो गए और शिकायतकर्ता के पिता जोगेराम की चोटों के कारण मृत्यु हो गई।
5. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदकगण पूर्णतः निर्दोष हैं और उन्हें वर्तमान मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है।
6. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि उक्त जोगेराम की मृत्यु उस समय नहीं हुई थी, बल्कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वहां से छुट्टी मिलने के बाद वे अपने घर आ गए थे। इसके बाद उनकी मृत्यु हुई। वर्तमान मामले में मृतक को आई चोटें मृत्यु का कारण नहीं थीं, बल्कि घटना के पचास दिन बाद उनकी मृत्यु हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु का कारण सेप्टीसीमिया था। अक्षय, जिसने कथित तौर पर मृतक पर ट्रैक्टर चढ़ाया था, के अतिरिक्त अन्य सभी अभियुक्तों के विरुद्ध सामान्य और सर्वव्यापी आरोप हैं। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण दिनांक 03.12.2025 से कारागार में निरुद्ध हैं और वे विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। यदि आवेदकगण को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे।
7. विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत आवेदन का पुरजोर विरोध किया है, किंतु वे आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता के उक्त तर्कों का खंडन नहीं कर सके।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए तर्कों, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों पर विचार करते हुए तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अक्षय के अतिरिक्त अन्य सभी अभियुक्तों के विरुद्ध सामान्य और सर्वव्यापी आरोप हैं, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, प्रथम दृष्टया न्यायालय का यह मत है कि आवेदकगण ने जमानत का आधार बनाया है। तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
9. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदकगण- मोनू उर्फ काला एवं जितेंद्र उर्फ जीते को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंध पत्र और समान राशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व जमानतियों का सत्यापन किया जाए।
- (i) आवेदकगण विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
- (ii) आवेदकगण अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं बनाएंगे/उन्हें डराएंगे नहीं।
- (iii) आवेदकगण नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।
10. उपरोक्त शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन के मामले में, यह जमानत निरस्त करने का आधार होगा।
11. यह स्पष्ट किया जाता कि आवेदकगण को जमानत देने के संबंध में की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से विद्वान विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

दिनांक : 27 जनवरी 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



शालिनी

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल,)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।